बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या–व.सं. / 124 / 2018 – 63

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
सीवान अंचल, सीवान। पटना–14, दिनांक– 21 / 01 / 2021

विषय : 400 के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी–मोतिहारी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1852 हे० वन भूमि को "मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीतामढ़ी के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक FC-592 दिनांक 07.07.2020 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में लगाये गये शर्त्तों के विरूद्ध प्रयोक्ता एजेंसी महाप्रबंधक, पीएमटीएल, पावरग्रिड मिथिलाचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3317 दिनांक 06.11.2020 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक वन भूमि–69 / 2020 58 (ई०) दिनांक 15.01.2021 द्वारा प्रस्ताव पर अंतिम (Stage-II) स्वीकृति प्रदान करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तद्आलोक में प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 14.02.2014, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना द्वारा निम्नांकित शर्त्तों के साथ 400 के०वी० डबल सर्किट सीतामढ़ी–मोतिहारी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.1852 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम (Stage-II) स्वीकृति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) यद्यपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं होना है, तथापि हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा।

(iii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(iv) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री को निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(v) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये वन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(vi) **वृक्षों एवं संवाहक (Conductors) के बीच न्यूनतम 5.50 मी० की दूरी रखी जायेगी। वृक्ष खुले तार से संपर्क में नहीं आये इसके लिये नियमित रूप से प्रयोक्ता एजेंसी/पैतृक विभाग द्वारा उसकी छँटाई की जायेगी।**

(vii) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(viii) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित्त करेगें कि वन एवं वन्यप्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्यकारी एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं।

(ix) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(x) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय–समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xi) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्ते आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xii) उपभोक्ता अभिकरण [मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीतामढ़ी] अपयोजित वन भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकार/विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/ अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश सामान्य जिलों के लिये 1 (एक) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान द्वारा किया जायेगा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत निर्गत अंतिम स्वीकृति के आलोक में 0.1852 हे० वन भूमि की विमुक्ति प्रयोक्ता एजेंसी को स्वीकृत कार्यों के लिये किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं./124/2018-63 दिनांक 21/01/2021

प्रतिलिपिः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं. / 124 / 2018 - 63 दिनांक 21/01/2021

प्रतिलिपिः वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल मोतिहारी / मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड मिथिलांचल, ट्रांसमिशन लिमिटेड, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं. / 124 / 2018 - 63 दिनांक 21/01/2021

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

27.1.2021
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।